


चौबमल बनाम नानगराज

नाम न्यायालय पीपी
केस संख्या टी/१२/२३

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>आज दिनांक १०/१२ को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अद्व. द्वारा आज कठोरलेख/कार्य बहिष्कार/कार्यवाही किये जाने के कारण, न्यायादिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वनुसार दिनांक १५/१० को पेश हो।</p> <p>आज दिनांक १५/१० को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अद्व. द्वारा आज कठोरलेख/कार्य बहिष्कार/कार्यवाही किये जाने के कारण, न्यायादिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वनुसार दिनांक २२/१० को पेश हो।</p> <p>२२/१० को पत्रावली पेश हुई। पकील उच्चपत्र अर्पित। पकील उच्चपत्र की परामर्श पर सुनी जरी। अतः सुनी जाकर प्रा. उच्चपत्र का समय मूलवाद अपलोडन किया गया। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त अग्रणी को सेरीजत बनाये रखना उचित समझे ही। अतः दिनांक २३/१० को जारी अंतरिम अस्वार्थ निषेधाज्ञा को क-फर्म विषय जाकर उच्चपत्रों को मूलवाद के निस्तारण तक अस्वार्थ निषेधाज्ञा के पक्षेप विषय जाल रहे। पत्रावली निस्तारण सुभाए होकर डी.नेवर के डम होकर ३१/१० तक दफ्तार ही। निर्णय आज २२/१० को निषेधाज्ञा जाकर जते स्थानात पुनः प्रा।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर जयपुर राठर द्वितीय, जयपुर </p>